कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्तम) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.( ) /प्रमुवसं/2016–17/ ~~दिनांकः–~~ 25/5/1/17

कार्यालय आदेश

दिनांक 07.12.2016 को मुख्य वन संरक्षकगणो की आयोजित बैठक में वन विभाग की भूमियो के संबंध में विभाग द्वारा विकसित एप्लीकेशन rflba.raj.nic.in का प्रदर्शन किया गया था। जिसमें विभाग के 44 वन मंडलो से संबंधित वन भूमि की डेटा की प्रविष्टि वन मंडल, रेन्ज, फोरेस्ट ब्लॉक, ग्राम एवं खसरावार की गयी है। बैठक में निर्देश दिये गये थे कि उप वन संरक्षक इस एप्लीकेशन में डाटा ऑनलाईन चैक कर उसे प्रमाणित कर पुनः अपलोड करेंगे। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु 30.01.2017 तिथि निर्धारित की गयी थी।

Rajasthan Forest Land Bank Application के लिए अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, जयपुर को नोडल अधिकारी तथा उप वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर को उप नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी अधिनस्थ सम्भागीय एवं वन्य जीव मुख्य वन संरक्षकगणो से सम्पूर्ण डाटा प्राप्त कर उप वन संरक्षक (IT) की तकनीकी टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्भागीय एवं वन्य जीव मुख्य वन संरक्षकगण अपने अधिनस्थ कार्यालयो से डाटा प्राप्त कर उसे संकलित कर अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त जयपुर को प्रेषित करेंगे। नोडल अधिकारी एवं उप नोडल अधिकारी वन भूमि संबंधि डाटा एप्लीकेशन में उप वन संरक्षक स्तर से अपलोड करने की प्रगति की मोनिटरिंग भी करेंगे।

नोडल अधिकारी एवं उप वन संरक्षक (IT) प्रति सप्ताह प्रगति रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

(सी.एस. रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त
जयपुर

क्रमांकः–एफ.( ) RFLBA/प्रमुवसं/उ.व.स./आईटी/2016–17/26-41 दिनांकः– 5/1/17

प्रतिलिपि :–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव भरतपुर/वन्य जीव जोधपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव उदयपुर/वन्य जीव जयपुर/बाघ परियोजना सरिस्का।
4. उप वन संरक्षक, (प्रशासन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, जयपुर।
5. श्री पी.के. सिंह, तकनीकि निदेशक, NIC, जयपुर।

(सी.एस. रत्नासामी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त